# दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

## प्रेस विज्ञप्ति

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा **राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल** (National Scholarship Portal) के माध्यम से दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु संचालित केन्द्र पोषित प्री–मैट्रिक, पोस्ट–मैट्रिक एवं टॉप क्लास छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2022–23 के लिए निम्नलिखित समय–सारणी के अनुसार (संशोधित तिथि) ऑन–लाइन आवेदन–पत्र **(www.scholarships.gov.in)** पर आमंत्रित किये जाते हैं:–

| | |
|---|---|
| ऑन–लाइन छात्रवृत्ति आवेदन हेतु पोर्टल खुलने की तिथि | 20 जुलाई, 2022 |
| पोर्टल पर **प्री–मैट्रिक** छात्रवृत्ति **प्रथम** स्तर के सत्यापन हेतु नियत अंतिम तिथि | 31 दिसम्बर,, 2022 |
| पोर्टल पर **प्री–मैट्रिक** छात्रवृत्ति **द्वितीय** स्तर के सत्यापन हेतु नियत अंतिम तिथि | 10 जनवरी,, 2023 |
| पोर्टल पर **पोस्ट–मैट्रिक/टॉप क्लास** छात्रवृत्ति आवेदन करने हेतु नियत अंतिम तिथि | 31 दिसम्बर,, 2022 |
| पोर्टल पर **पोस्ट–मैट्रिक/टॉप क्लास** छात्रवृत्ति **प्रथम स्तर** के सत्यापन हेतु नियत अंतिम तिथि | 15 जनवरी, 2023 |
| पोर्टल पर **पोस्ट–मैट्रिक/टॉप क्लास** छात्रवृत्ति **द्वितीय स्तर** के सत्यापन हेतु नियत अंतिम तिथि | 31 जनवरी, 2023 |

छात्रवृत्ति की पात्रता की शर्तें एव विस्तृत जानकारी भारत सरकार के सुंसगत दिशा–निर्देश में वर्णित प्रतिबंधों के अनुसार होगी। विस्तृत दिशा–निर्देश/पात्रता शर्तें दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली की छात्रवृत्ति सम्बन्धी वेबसाइट www.scholarships.gov.in पर उपलब्ध हैं।

(रणजीत सिंह)
संयुक्त निदेशक/नोडल अधिकारी,
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

महत्वपूर्ण / समयबद्ध / ई–मेल

प्रेषक,

निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवामें,

कुल सचिव,
..........................................................
..........................................................

पत्रांकः–C-4692/दि0ज0स0वि0/रा0छा0यो0/2022–23: लखनऊ : दिनांक– 27 दिसम्बर, 2022

विषयः– राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना शैक्षणिक सत्र– 2022–23 हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्री–मैट्रिक/ पोस्ट मैट्रिक/टॉप क्लास में तिथि बढ़ाये जाने की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया निदेशालय के पत्र सं0–सी–3615 दिनांक–19 अक्टूबर 2022, पत्र सं0–सी–3615 दिनांक–19 अक्टूबर 2022, पत्र सं0–सी–2935 दिनांक–06 सितम्बर 2022, पत्र सं0–सी–2553 दिनांक–11 अगस्त 2022 व पत्र सं0–2177 दिनांक–25 जुलाई, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि **दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिव्यांग छात्र/छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति योजना संचालित की जाती है जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े दिव्यांग छात्र/छात्राओं का शैक्षणिक सशक्तीकरण है।** इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित घटकों के माध्यम से दिव्यांग छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है :–

- प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 09 और 10 के लिए),
- पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 11 से स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा के लिए),
- उच्च श्रेणी शिक्षा (टॉप क्लास) छात्रवृत्ति (शिक्षा के उत्कृष्टता में अधिसूचित संस्थानों में स्नातकोत्तर और स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा),
- राष्ट्रीय ओवसरसीज छात्रवृत्ति (विदेश स्थित विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर डिग्री पीएचडी),
- राष्ट्रीय फैलोशिप (भारतीय विश्वविद्यालय में एमफिल और पीएचडी),
- दिव्यांग छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग (ग्रुप क और ख पदों के लिए भर्ती परीक्षाओं और तकनीकी और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षाएं)

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल वर्ष–2022–23 द्वारा निदेशालय के ई–मेल पर दिनांक–22.12.2022 को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना शैक्षणिक सत्र 2022–23 हेतु संशोधित समय–सारणी प्राप्त हुई है।

| | |
|---|---|
| ऑन–लाइन छात्रवृत्ति आवेदन हेतु पोर्टल खुलने की तिथि | 20 जुलाई, 2022 |
| पोर्टल पर पोस्ट–मैट्रिक/टॉप क्लास छात्रवृत्ति आवेदन करने हेतु नियत अंतिम तिथि | 31 दिसम्बर,, 2022 |
| पोर्टल पर पोस्ट–मैट्रिक/टॉप क्लास छात्रवृत्ति प्रथम स्तर के सत्यापन हेतु नियत अंतिम तिथि | 15 जनवरी, 2023 |
| पोर्टल पर पोस्ट–मैट्रिक/टॉप क्लास छात्रवृत्ति द्वितीय स्तर के सत्यापन हेतु नियत अंतिम तिथि | 31 जनवरी, 2023 |

उपरोक्त के क्रम में आपसे पुनः अनुरोध है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली की छात्रवृत्ति हेतु वेबसाइट www.scholarships.gov.in में उपलब्ध गाईड–लाइन्स में दी गयी व्यवस्थानुसार समन्यार्तगत आप अपने विश्वविद्यालय/संस्थान में अध्ययनरत् पात्र दिव्यांग छात्र/छात्राओं को योजनान्तर्गत से लाभान्वित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय,

(रणजीत सिंह)
संयुक्त निदेशक,
कृते निदेशक।

Sch22-23

पृष्ठाकंन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–विशेष सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग–2, उ0प्र0।

2–वैयक्तिक सहायक, निदेशक दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,उ0प्र0 को निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।

2–समस्त मण्डलीय उपनिदेशक,दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,उ0प्र0।

(रणजीत सिंह)
संयुक्त निदेशक,
कृतेनिदेशक।